जनजातियों पर सूचना तकनीक का प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण (रांची नगर के विशेष संदर्भ में)

डॉ0 मिथिलेश कुमार*

सूचना तकनीकी क्रांति मानव जीवन की विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया तथा उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में अनुकूलनशील परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाया। 1960 के दशक के बाद सेटेलाइट क्रांति ने जनसंचार माध्यमों की नई–नई तकनीकों का मार्ग प्रशस्त हुआ। टेलिविजन, कम्प्यूटर, इंटरनेट, माइक्रोचिप्स, मोबाइल फोन, माइक्रो तरंगे आदि प्रमुख है। आज इसे आई. टी. युग के रूप में जाना जा रहा है। आज सूचना तकनीकी का विश्व स्तर पर एकीकरण हुआ है, सूचना तकनीकी के इस दौर में जनजातीय समाज इससे अछूता नहीं है। सूचना तकनीकी ने जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक जीवन को परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाई है।

अगर इन बातों की जड़ों तक जाये तो पाते हैं कि निश्चित तौर इस प्रक्रिया ने समाज के सभी तबकों को प्रभावित किया है। जिससे जनजातिय समाज को अलग नहीं किया जा सकता। इस शोध पत्र के माध्यम से यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि सूचना क्रांति का प्रभाव जनजातीय समाज पर कितना पड़ा है? और इसने उनको जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया है?

मुख्य शब्दः सूचना क्रांति, जनजातीय समाज, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, सेटेलाइट चैनल्स।

सूचना तकनीकः अर्थपूर्ण संदेशों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक का संप्रेषण ही संचार है। जैसा की जे पाल लीगन्स[1] ने बताया है कि विचारों, अनुभवों, तथ्यों एवं ज्ञानपरक सूचनाओं का ऐसा आदान प्रदान, जिससे उभय पक्षों को संदेश का ज्ञान अथवा जिस प्रक्रिया के माध्यम से संप्रेषक और संग्राहक के मध्य का सामंजस्य एवं जागरूकता पैदा हो सके संचार है। संचार के प्रमुख घटक है– संप्रेषण या स्रोत, सार्थक संदेश एवं संग्राहक। इसके प्रमुख स्वरूपों में अंतः वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार एवं जनसंचार तथा परंपरागत संचार आते हैं।

जनसंचार में प्रेषक तथा एक बड़ी संख्या में ग्रहणकर्ताओं के बीच एक संपर्क स्थापित होता रहा है तथा सूचना प्राप्त करने वालों में से अधिकतम में कुछ न कुछ प्रतिक्रिया अवश्य उत्पन्न होती है। इसीलिए जनसंचार हेतु जनमाध्यम यथा समाचार पत्र, रेडियो, टेलिविजन आदि आवश्यक होते हैं। जो उन समुदाय को उसकी चित्र के अनुरूप प्रभावित करते हैं। संचार के स्वरूपों में जनसंचार सर्वप्रमुख है। जोसेफ डिविटो[2] के अनुसार जनसंचार बहुत से व्यक्तियों में एक मशीन के माध्यम से सूचनाओं , विचारों और दृष्टिकोणों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। बिना सूचन और संचार के विकास संभव नहीं है। समुन्नत एवं विकसित जनसंचार प्रौद्योगिकी से ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया संभव हुई है।

सामाजिक जीवन की गतिशीलता जनसंचार के विभिन्न पक्षों से जुड़ी है। जनसंचार की प्रवृति सामाजिक जीवन में अपनी सुविधा और आवश्यकता अनुसार शामिल प्रवृतियों में परिमार्जन करते रहना है। यह स्थिति धीरे धीरे व्यक्तित्व की तरफ बढ़ती है, तर्कशक्ति एवं कल्पनाशक्ति कमजोर पड़ने लगती है। सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन टूटन की जमीन तैयार होती है, जिससे रूपांतरण की प्रक्रिया मान्यताओं, मूल्यों एवं जीवन विधियों में प्रारंभ हो जाती हैं।

प्रो. श्री निवास[3] के अनुसार पाश्चात्यीकरण का प्रथम और अत्यंत क्रांतिक कदम संचार साधनों की क्रांति का था। आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण और प्रजातांत्रिक मूल्यों में वृद्धि, आधुनिक शिक्षा एवं संचार माध्यमों के कारण हुई। इसने ग्रामीण जीवन की परंपरागत आधारभूत संरचना में ही परिवर्तन कर दिया। परंपरागत सामाजिक वर्ग संरचना और परंपरागत ग्रामीण मूल्यों में परिवर्तन किया। परिवर्तन की इस तीव्र प्रक्रिया में न केवल ग्रामीण जीवन प्रभावित हुआ बल्कि एक दूसरे के संदर्भ समूह के रूप में सच तो यह है कि नगरों की आधुनिकता ग्रामों के लोक जजीवन की विशेषताओं से प्रभावित हो रही है। परिवार, विवाह , धर्म रीति रिवाज, खान पान वेशभूषा, आवास, सफाई, स्वच्छता, साक्षरता, लोक संस्कृति के साथ ही राजनैतिक जागरूकता, गुटबाजी, आपसी वैमन्स्य नव नेतृत्व तथा आर्थिक जीवन में कृषि,

* **एसोशिएट प्रोफेसर, स्नातकोतर समाजशास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची**

उत्थान की प्रकृति, उत्पादन संबंध, बाजारों का स्वरूप, नवीन रोजगार आदि में विस्तृत परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। मशीनों के प्रयोग, रासायनों एवं समुन्नत नवीन बीजों के प्रयोग श्रमिकों को खेती से बाहर कने लगते हैं क्योंकि कृषि में निवेश की कीमत बढ़ जाती है। इसकी रिक्त पूर्ति के लिए किसान गैर कृषि गतिविधियों को अपनाने लगते है। इस प्रक्रिया को पुल फैक्टर और पुश फैक्टर के रूप में समझा जा सकता है। जैसे रोजगार, अधिक और आरामदायक कमाई, बेहतर और विलासितापूर्ण जिन्दगी पुल फैक्टर के रूप में तथा ग्रामीण जीवन में विषम और दुरूह होती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण असामंजस्यपूर्ण दशाओं को पुश फैक्टर के रूप में समझा जा सकता है। 19वी शताब्दी के मध्य से औपनिवेषिक आर्थिक नीतियों के कारण दस्तकार और किसान बरबाद होने लगे और पलायन शुरू हुआ। इस बीच शहरों में बसने रोजगार शिक्षा तथा आधुनिक उद्यो धंधों ने लोगों के सामने विकल्प रखने शुरू किये। उद्योग धंधों एवं शहरी जीवन प्रणाली ने सेवा और जीवन के नये अवसर और क्षेत्र खोलने शुरू किये।

वैचारिक परिवर्तन के लिए विज्ञापनों का संजाल जैसे बच्चों को नोट बुक्स और शैक्षिक सामग्री पर किसी शिक्षाविद् या शैक्षिक संदर्भ व्यक्ति के चित्र के बजाय, सिनेमा, खेल या अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों को प्रदर्शित करना, उनका संदर्भ बदलने का अपरोक्ष प्रयास है। साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सौन्दर्य प्रतियोगिताओं, ब्यूटी पार्लर और अब मंडी परिषद् द्वारा स्थापित नव बाजारवाद का स्वरूप है। थम्सअप के विज्ञापन में पंकी जम्पिंस, शक्तिमान, अमेरिका, कनाडा आदि शहरों में स्कूली छात्रों द्वारा गोली बारी की घटनायें, अश्लील एम एम एस और एम एम एस, टीवी मोबाईल आदि का प्रयोग के द्वारा संप्रेषित मायाजाल और संदेश व्यक्तियों के विवेक को मार देता है। अल्पायु वयस्कता, अमर्यादा भौतिकवादी संस्कृति, क्षणिक सुख की मायावी दुनिया के प्रति संचार माध्यम आकर्षित करते हैं। परिणामस्वरूप नयी एवं पुरानी पीढ़ी के बीच द्वंद्व के रूप में समाज में असंतोष बढ़ने लगता है जिससे अंतर पीढ़ी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, परंतु जनसंचार के संसाधनों, कम्प्यूटर टीवी मोबाइल रेडियो आदि के प्रभाव स्वरूप बढ़ती हुई शिक्षा बौद्धिक और राजनैतिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं व्याधिकीय चिंताओं के प्रति जागरूकता तथा आर्थिक समृद्धि इन सबके साथ संप्रेषण की सशक्त और प्रभावशाली जनसंचार प्रौद्योगिकी निश्चित ही इस दिशाहीनता, अराजकता, अनैतिकता, अतिवाद और अपराध एवं असामंजस्य की प्रवृति को समाप्त कर एक नये स्वस्थ समाज को बनायेगा।

वास्तव में आदमी की मुक्ति के सवाल को मार्क्स ने उठाया था। उन्होंने कहा थाः आर्थिक संरचना को बदल दिजीए., समाज बदल जाएगा। नहीं, हैबरमास ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैंः संचार क्रिया को बदल दिजीएगा., समाज बदल जाएगा।[4]

जनसंचार मात्र सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है। व्यापक समझ धारणा, निर्माण तथा आपसी सहमति का विकास इसकी विशेषताएं है। अभिवृति तथा मूल्यों में परिवर्तन इसके कार्यों में शामिल है। अमेरिकन समाजशास्त्री टॉलकॉट पारसंस[5] ने प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में संचार के सामाजिक अंतक्रिया को अनिवार्य माना है। इसी तरह सन् 1949 में अमेरिकी समाजशास्त्री राबर्ट के. मर्टन[6] ने कहा कि संचार सामाजिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। सन् 1958 में डेनियल लर्नर[7] ने अपने प्रकाशन दि पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में सामाजिक विकास हेतु जनसंचार माध्यमों की सामाजिक उपादेयता प्रतिपादित किया था। सन् 1960 में समाजशास्त्रीयों ने विकास के लिए सामाजिक परिवर्तन हेतु जनसंचार की अवधारणा विकसित कर जनसंचार के समाजशास्त्र का मार्ग प्रशस्त किया। सन् 1961 में प्रकाशित युनेस्को रिपोर्ट[8] मॉस मीडिया इन डेवलपिंग कंट्रीज में कहा गया है कि किसी देश के राष्ट्रीय विकास के संकेतकों में प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, नगरीकरण और औद्योगिकरण के साथ–साथ जनसंचार माध्यमों के संचालन भी शामिल है। अमेरिकी समाज वैज्ञानिक डेनियल बैल ने अपनी पुस्तक दि कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रीयल सोसाइटी 1973 में कहा कि किसी भी औद्योगिक समाज को गति देने का काम उसका उत्पादन और लाभ करते हैं आज के समय में महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञान और सूचना हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिक से अधिक ज्ञान को पैदा कीजिए, सूचना का निचोड़ निकालिए और आर्थिक वृद्धि कीजिए। आज के समाज में ज्ञान की भूमिका और सूचना का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है। जनसंचार की दो मान्यताएं हैं–

1. जनसंचार एक सामाजिक घटना है। इसके सामाजिक गुणों, विशेषताओं तथा प्रभावों को समझे बिना इसका उचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
2. जनसंचार ओर समाज का संबंध एकपक्षीय नहीं है। अर्थात् ऐसा नहीं है कि मात्र जनसंचार का ही समाज पर प्रभाव है अथवा समाज ही जनसंचार को प्रभावित करता है। वास्तव में इन दोनों का प्रभाव पारस्परिक प्रभाव है।

जनसंचार माध्यमों का आरंभ मुद्रण तकनीकी के साथ हुआ था। सदियों तक मुद्रित शब्द माध्यम ने मनुष्य की संस्कृति, आचरण व्यवहार तथा विचारों को प्रभावित किया। आज सेटेलाइट से संबंध रेडियो, टेलिविजन के साथ साथ मल्टी मीडिया, सी.डी रॉम तथा इंटरनेट जैसे उच्च टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिक जनसंचार माध्यमों ने बहुत हद तक दुनिया को एक भूमण्डली गांव में बदल दिया है। जनसंचार की इस प्रक्रिया ने समाज में परंपरागत पूर्वधारणाओं तथा व्यवहारों को काफी हद तक प्रभावित किया है। आधुनिक जनसंचार प्रक्रिया की उपज सूचना आज के बदलते विश्व के परिप्रेक्ष्य में शक्ति का प्रतीक बन गयी है।सूचना प्रौद्योगिकी का अविर्भाव औद्योगिक क्रांति के बाद सबसे बड़ी क्रांति के रूप में माना जाने लगा हैं लेकिन इस क्रांति की सार्थकता तभी होगी जब इसका उपयोग मानव कल्याण व इसके विकास के लिए किया जाये।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्यामाचरण दुबे[9] ने भी कहा है कि मनुष्य जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी तब बनता है जब यह संचार द्वारा संस्कृतियों, अभिवृतियों, मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों को आत्मसात कर लेता है। सांस्कृतिक निरंतरता को जनसंचार माध्यमों पर आधारित सामाजिक प्रक्रिया माना है जनसंचार माध्यम व्यक्ति, समाज और मूल्यों के बीच परस्पर आदान प्रदान द्वारा संबंध स्थापित कर सांस्कृतिक निरंतरता को गति देते हैं।

संचार तथा सामाजिक जीवन के बीच गहरा संबंध होता है पारंपरिक जागरूकता सामाजिक संबंधों का एक अनिवार्य तत्व है। पानी और गिलास, कलम और दवात, पंखा और बिजली के बीच संबंधों को हम सामाजिक संबंध नहीं कह सकते, क्योंकि उनके बीच मानसिक जागरूकता का अभाव है। अतः जागरूकता के बिना सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं हो सकता है। जनसंचार माध्यमों की तीन महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रियायें हैं– समाजीकरण, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण। जनसंचार माध्यम समाजीकरण के प्रमुख माध्यम हैं। मानव समाज बुद्धि, तर्क, रीति–नीति तथा सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं की सतत प्रक्रिया द्वारा विकास की ओर गतिशील है। इस गति को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि वह इनका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करता रहे। संचार की विभिन्न प्रक्रियायें हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में सहायता कर सामाजिक निरंतरता बनाये रखती है। दूसरी तरफ सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य सामाजिक घटना है, लेकिन इसकी गति प्रत्येक समाज में एक जैसी नहीं है। कुछ समाजों में इसकी गति इतनी धीमी होती है कि सामान्यतः आम जनों को इसका आभास नहीं होता। जीवन की स्वीकृति रीतियों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते है। भौतिक आविष्कार मानव के जीवन शैली को प्रभावित करते हैं जबकि सामाजिक आविष्कार विचारों को प्रभावित कर संपूर्ण सामाजिक संगठन को परिवर्तित कर एक नई सामाजिक व्यवस्था का प्रवर्तन करते हैं। सामाजिक आविष्कार की परिकल्पना करते हुए आगबर्न[10] ने कहा था की ये वे आविष्कार हैं जो भौतिक नहीं हैं और न प्राकृतिक विज्ञानों से इसका संबंध है, मताधिकार, स्त्री शिक्षा का प्रसार, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों का उन्मूलन जैसे नये विचारों तथा इनसे संबद्ध संस्थाओं के प्रोत्साहन में आधुनिक संचार माध्यम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सामाजिक आविष्कारों के द्वारा समाज में नये मूल्य प्रचलित होते हैं जो बाद में सामाजिक परिवर्तन का कारक बनते हैं। जनसंचार माध्यम सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सामाजिक विवेक द्वारा सहमति का भी निर्माण करते हैं। जनसंचार माध्यम ने सिर्फ सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि सामूहिक विवेक द्वारा सामाजिक विघटन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

समाजीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में समरसता व व्यवस्था बनाये रखना जनसंचार माध्यमों का मुख्य सामाजिक उतरदायित्व है। यही कारण है कि जनसंचार माध्यमों को जनमत के अभिकरण के रूप में सामाजिक नियंत्रण के सशक्त साधनों में शामिल

किया है। जनमत में सहमति कल्याण तथा लोक महत्व के विषय जनमत के अनिवार्य तत्व हैं। जनमत में सहमति–असहमति दोनों होती है। जनमत में जनता द्वारा विचार विमर्ष की पूर्व कल्पना निहित है। आधुनिक जनसंचार माध्यम जनमत निर्माण व इसकी अभिव्यक्ति के प्रमुख अभिकरण है। जनसंचार माध्यम सामाजिक उपकरण के रूप में सामाजिकरण, संस्कृति के प्रसार, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। जनसंचार माध्यम समाजीकरण के जटिल सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन के साथ साथ ज्ञान, शिक्षा, तथा मनोरंजन सेवाएं भी लक्षित समाज को उपलब्ध कराते है।

वैश्वीकरण ने जनसंचार माध्यमों को अपरिमित संभावनाएं प्रदान की हैं। आज रेडियो, टेलिविजन, सैटेलाइट, कम्प्यूटर, टेलिफोन, इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया जैसे आधुनिक संचार माध्यमों के कारण मेकलुहान[11] ने लिखा है कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है। एक गांव बन गई है जहां सब लोग सब कुछ जान सकते हैं। आज सूचना प्रौद्योगिकी का विश्व स्तर पर एकीकरण हुआ हे। इसके अधिकाधिक प्रयोग से विशेष रूप से इंटरनेट के तीव्र विस्तार के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में मानव गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। इसका प्रभाव समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक रूप में पड़ रहा है। व्यापारिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों में इस नई प्रौद्योगिकी ने उल्लेखनीय विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। इस क्रम में ई वाणिज्य, ई कामर्स, ई बैंकिंग आदि के माध्यम से वैश्विक व्यापार एवं वाणिज्य का मार्ग खुला है।

अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि वैश्विक स्तर पर होने वाले इन परिवर्तनों का जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस स्थिति के पहले यह जानना आवश्यक है कि जनजाति और उनकी सामाजिक विशेषतायें कैसी हैं?

जनजाति–

मनुष्य की असीमित आकांक्षा और आगे जाने की योग्यता ने सूचना क्रांति की प्रक्रिया की शुरूआत कर दी है। यह संभव हो पाया तो इसके पीछे अंतराष्ट्रीय वस्तुओं व सेवाओं की एक देश से दूसरे देश की ओर की आवाजाही है। जिससे न सिर्फ वस्तु व सेवाओं का विनिमय होता है बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और सीमाओं की दुरियों को भी सीमित करने का प्रयास किया जाता है। नई तकनीक के विकास का उपयोग सूचना, संस्कृति व परिवहन तथाा बड़ी मात्रा में अंतराष्ट्रीय पूंजी का एक देश से दूसरे देश की ओर की आवाजाही को प्रस्तुत करता है। इससे आर्थिक, राजनीतिक पार्यावरणीय और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में विश्व के लगभग सभी देशों में क्रातिकारिक परिवर्तन हुए हैं। जिसके सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव रहा है। वर्तमान वर्षों में बहुत सारे कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र संघ, और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जनजातियों व गैर जनजातियों के बीच एकीकरण के प्रयास किये जा रहे हैं। एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय अंतर सांस्कृतिक बातचीज राज्य की नीतियों के संदर्भ में किया है। मंत्रालय का यह प्रयास भी रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण करते हुए उनको एकीकृत किया जा सके।

जहां तक सूचना क्रांति के इतिहास की बात है तो सूचना के क्षेत्र में इस नई क्रांति का सूत्रपात 19वीं शताब्दी के टेलीग्राफ के अविष्कार के साथ हो गया था। बाद में रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, सेल्यूलर फोन, कम्प्यूटर, दूरसंचार उपग्रह, टेलीविजन, इंटरनेट, वीडियोफोन, प्रिंटर, मल्टीमिडिया इत्यादि ने इस प्रौद्योगिकी को वर्तमान क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया। इन सबमें कम्प्यूटर की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान स्थिति में कम्प्यूटर के बिना सूचना तकनीक की बात करना भी बेमानी है। आज पूरे विश्व में औद्योगिक रूप से विकसित समाज ऐसे सूचना समाज में परिवर्तित होता जा रहा है जो कम्प्यूटर के बिना एक सेकेंड भी जीवित नहीं रह सकता। कम्प्यूटर आज सूचना तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। जहां तक भारत में कम्प्यूटर के प्रवेश की बात है तो यह 1950 में इकाई संसाधन मशीन व डेस्क टाप कम्प्यूटर्स के रूप में हुआ । वर्तमान में प्रयुक्त किया जाने वाला कम्प्यूटर चौथी पीढ़ी का है। पहली पीढ़ी के कम्प्यूटर का निर्माण 1944 में किया गया था। ये वैक्यूम टयूब बल्बों पर आधारित थे, इन कम्प्यूटरों में इलेक्ट्रानों के प्रवाह का प्रयोग किया गया था। 1948 में ट्रांजिस्टर के

अविष्कार के बाद 1956 में दूसरी पीढ़ी के कम्प्यूटर का विकास हुआ। 1965 में तीसरी पीढ़ी के कम्प्यूटर्स आयें। इन कम्प्यूटरों सिलिकॉन चिप्स का उपयोग किया गया था। अभी तक शोधशालाओं में वैज्ञनिकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था परंतु सिलिकॉन चिप्स का प्रयोग शुरू हाने के बाद इसी वर्ष कम्प्यूटर बाजार में जनसाधारण के लिए उपलब्ध हुए। कम्प्यूटर की चौथी पीढ़ी 1971 के बाद अस्तित्व में आई। वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कम्प्यूटरों का प्रयोग प्रारंभ हो चुका है।

इंटरनेट की सुविधा की शुरूआत 1995 में की गई। 1991 में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरूआत के साथ–साथ भारत को सूचना के एक राष्ट्रीय राजमार्ग की आवश्यक्ता महसूस होने लगी थी। 1994 में सूचना राजमार्ग के रूप में इंटरनेट की सुविधा मिलना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उदारीकरण के लाभ को जन–जन तक पहुंचाने की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत 1995 से इसे जनसाधारण के लिए मुक्त कर दिया गया। पूर्व में यह सुविधा केवल शिक्षण संस्थानों, अनुसंधानशालाओं तथा सरकारी उपक्रमों को अर्नेट एवं निकनेट के द्वारा ही उपलब्ध थी। वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है इसके अलावे अनेकों निजी कंपनीयों के द्वारा भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इंटरनेट कनेक्शन के उपयोग से उपभोक्ताओं के द्वारा अनेकों प्रकार की सुविधाएं अपनी इच्छानुसार प्राप्त कर पाना आसान हो जाता है। जिसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, राजनीति, व्यापार से लेकर खेलकूद, चिकित्सकीय परामर्श कृषि संबंधी जानकारियां आती हैं। इंटरनेट पर मिलने वाली सुविधाओं के अंतर्गत ई–मेल, ई कॉमर्स पेजिंग और सेल्यूलर जैसी उपयोगिताओं को सम्मिलित किया जाता है।

एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि दुनियाभर में सात से बारह वर्ष की आयु के करीब 10 लाख बच्चे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के आदी हैं और दिनभर में कम से कम एक बार वेबसाइट को खोलते हैं। एक सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है, करीब 9,70,000 बच्चे नियमित रूप से फेसबुक साइट का इस्तेमाल करते हैं। यह साइट उनके रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। कम से कम 46 प्रतिशत बचचों का कहना है कि वे कभी कभी इस साइट का इस्तेमाल करते हैं। शोध में यह भी खुलासा हुआ है कि बच्चे अपने स्कूल दिनों और सप्ताहांत में प्रत्येक दिन टीवी के सामने लगभग तीन घंटे और पांच मिनट का समय गुजारते हैं।[12]

चार महानगरों से शुरू हुई मोबाइल सेवा आज भारत के हर गांव में पहुंच गई है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1996 में कुल 119.3 टेलीफोन कनेक्शन थे। इसमें 27.03 लाख कनेक्शन अकेले ग्रामीण इलाके के थे। अब इनकी संख्या 210 मिलियन तक पहुंच गई है। दूरसंचार के मामले में भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन पहले स्थान पर। सूचनाओं के आदान–प्रदान में जिस गति से टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट के साथ ही आज केबल कारोबार का भी विस्तार हो रहा है, उसी गति से रोजगार के साधन विकसित हो रहे हैं। भारत में जब 1980 के दशक में इंटरनेट की शुरूआत हुई थी तब इसमें रोजगार की संभावना कम थी, लेकिन अब इंटरनेट आधारित रोजगार बढ़ रहे हैं। इसकी उपयोगिता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब पूरी दुनिया में इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं। हर माह दुनियाभर में लोग करीब 27 लाख घंटे से अधिक इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट यूजर्स की संख्या 80 करोड़ पार कर गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि वर्ष 2013 तक दुनियाभर में 2.2 अरब इंटरनेट उपभोक्ता हो गये। क्योंकि अब यह सूचना प्रौद्योगिकी तक ही नहीं बल्कि शिक्षा, मनोरंजन, व्यापार और प्रचार–प्रसार तक फैल चुकी है।[13]

जहां तक जनजातियों की बात है तो जनजाति हिन्दुत्व की सामाजिक विचारधारा से बिल्कुल ही विपरीत है। जहां हिन्दूओं में जाति व्यवस्था के आधार पर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था कार्य करती हैं वहीं दूसरी ओर जनजातियों में नातेदारी को सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसके अलावे जनजातियों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है अर्थात इनकी आय के अन्य स्रोतों का अभाव है। वहीं दूसरी ओर हिन्दूओं में कृषि के साथ साथ अन्य आय के भी स्रोत होते है। जो उनकी आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाते है। इसके अलावा हिन्दूओं में धार्मिक मूल्यों का भी विशेष योगदान होता है। क्योंकि यहां पर परिवार रूपी संरचना की आधारशीला धर्म, प्रजा और रति जैसे विचारों से निर्मित होती है। जनजाति पूर्णतया प्रकृति पूजक होते हैं।

2001 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड में 32 जनजातिय समूह हैं जिसमें 9 आदिम जनजातियां हैं।[14] संथाल उरांव मुंडा, हो वैसी जनजातियां हैं जिनकी जनसंख्या ज्यादा है और वे शहरी और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। परंतु प्रतिशत के मामले में ये काफी कम होते है। परंतु प्रतिशत के मामले में ये काफी कम होते है। बाकी बचे जनजाति समूह बेरोजगार की स्थिति के कारण शहरों महानगरों में प्रवासित होने के लिए बाध्य किये जा रहे है। शहरों में जहां उनकी आय के काफी कम स्रोत उपस्थित हैं। वहां वे बहुत ही बुरी स्थिति में निवास करने को बाध्य हैं। जनजातियों के प्रवसन ने उनके के लिए समायोजन की समस्याएं उत्पन्न कर दी है। मौसमी और नियमित कृषि श्रमिकों के पलायन ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक अलग तरह की समस्या उत्पन्न कर दी है। जो प्रत्यक्ष रूप से उनके रहने के स्थान कार्य की प्रकृति व बिचौलियों के द्वारा शोषण की एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह स्थिति उनके जन्म के क्षेत्र से संबंधों को समाप्त कर रहा है।

अध्ययन क्षेत्र

रांची जिला का क्षेत्रफल 4962.82 वर्ग किमी है। जिसकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2912022 है। यहां की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 23.90 प्रतिशत है। झारखण्ड की कुल जनसंख्या का 8.83 प्रतिशत भाग रांची में निवास करता है। जनसंख्या की दृष्टि से यह झारखण्ड का पहला जिला है। रांची जिले में 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों की कुल संख्या 388052 है जिसमें लड़कों की संख्या 200327 और लड़कियों की संख्या 187725 है। यहां का लिंगानुपात 950 है। रांची की साक्षरता दर 77.13 प्रतिशत है। जिसमें पुरूष साक्षरता 85.63 प्रतिशत और महिला साक्षरता 68.20 प्रतिशत है।[15] और इसका जनसंख्या घनत्व 557 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। 1869 में रांची में नगरपालिका की स्थापना की गई। उस समय घरों की संख्या मात्र 1617 थी और जनसंख्या 12086 थी। 1881 में जिला मुख्यालय को लोहरदगा से रांची लाया गया। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 में हुई। इसमें वार्डों की संख्या 55 है। जिसका क्षेत्रफल 225 वर्ग किमी है। रांची में लगभग 108 स्लम क्षेत्र हैं जिनकी जनसंख्या 2,50,043 है।

निष्कर्ष

सूचना क्रांति के माध्यमों के कारण जनजातिय समाज में परिवर्तन आ रहा है। विकास कार्य में सरकार प्रयासरत है। शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। राजनीतिक चेतना आ गई है। अपने समाज से विधायक सांसद भेज रहे हैं। मंत्री पद पर भी आसीन हैं। उँचे सरकारी ओहदों पर भी पहुंच रहे है। महिलायें भी अच्छे पदों पर बैठ रही हैं और राजनीतिक क्षेत्र में उतर रही हैं। जनसंचार व सूचना क्रांति के विकास के कारण इनके वेश–भूषा, खान–पान, रहन–सहन सब बदल रहा है। अपनी भाषा लोकगीत और लोककथाओं को भूलते जा रहे हैं। फिर भी ग्रामीणों के कंठ में लोक गीत व लोक कथाएँ सुरक्षित संरक्षित है।

जनजातीय लोग वर्तमान समिन्वत विकास की अवधारणा में पीसते जा रहे हैं। उनका समुदाय समन्वित समाज का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ऐतिहासिक रूप से वे विभेदीकृत पार्यावरणीय प्रणाली के भाग रहे हैं। वर्तमान में वे वैश्वीकृत समाज के अंतर्गत अपने आपको व्यवस्थित करने के लिए निरंतर संघर्ष करते जा रहे हैं। भारतीय जनसंख्या के इस समूह पर वैश्वीकरण व वर्तमान बाजार प्रणाली का आसानी से प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि न तो उनकी कोई आवाज है और दूसरी ओर वर्तमान बाजार व्यवस्था से उनको आसानी से अलग थलग किया जा सकता है। वैश्वीकरण इन समुदायों को न सिर्फ समाज की मुख्य धारा से काट रहा है। बल्कि यह उनको अपने विभिन्न आक्रमणों से आक्रांत भी कर रहा है। जिससे उनके दैनिक जीवन की गतिविधियां प्रभावित हो रही है और वे अपने जीवन की रक्षा और खाद्य असुरक्षा के लिए संघर्षरत नजर आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर समूचे विश्व में जनजातीय समूह उन क्षेत्रों में निवास करता है जहां प्राकृतिक स्रोतों की बहुलता है। जैसे वन, खनिज संपदा, पानी और आनुवांशिक विविधतायें। वर्तमान काल में समाज के विस्तार हेतु इन तत्वों की व्यापक तौर पर आवश्यक्ता पड़ती है। इसलिए बहुराश्ट्रीय संगठनों व संबंधित क्षेत्र की सरकारों द्वारा उनकों उनके जमीन से अलग किया जा रहा है।

नई आधुनिकीकृत सूचना व तकनीक प्रणाली विकास के लिए कारगर हथियार के तौर पर उपयोग में लायी जाती है। परंतु इसके शिक्षण के लिए जनजातियों हेतु कोई आवश्यक उपाय नहीं किये जा रहे हैं। जिससे वे इनका उपयोग कर पाने में अक्षम हैं। सभी वैश्वीकरण आर्थिक बाजार प्रणाली की रीढ़ की हडडी सूचना व तकनीक ही है। और अगर इनके साथ बने रहना है तो इनका ज्ञान अति आवश्यक हैं। परंतू जनजातीय समूह इनका लाभ उठा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। जनजातीयों के लिए पारंपरिक रूप से खाद्य संकलन एवं आखेटन के लिए विद्यमान संप्रभुता एक राष्ट्रीय प्रश्न बन कर रह गई है। क्योंकि सरकार ने अपनी नीतियों को नई आर्थिक नीति से बांध दिया है। सरकार के द्वारा लागु की गई नई नीतियों में बड़े डैम का निर्माण, पाइपलाइन का निर्माण, सड़क, उर्जा की सुरक्षा और मिलिट्री शक्ति को बढ़ावा देना है। जिसके परिणमस्वरूप अधिसंख्य जनजातिय आबादी अपने पारंपरिक गृह क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं।

आनुवांशिक स्रोतों व जैविकीय स्रोतों के उपयोग के बारे में विश्व व्यापार संगठन ने जो नीतियां बनाई है। वे जनजातीय अस्मिता के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। पहले जनजातीय आबादी के द्वारा वन्य पदार्थों का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लिया जाता था। परंतु वर्तमान में उनके उपयोग का पूर्ण व्यावसायिकरण हो गया है। राष्ट्रीय सरकार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई निर्यात नीतियां बना रही है। जिससे नृजातिय समुदाय के हितों की अगर अनदेखी भी होती है तो इससे अंतराष्ट्रीय व्यापार नीति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विश्व के स्तर की विभिन्न कंपनीयों के बीच सूचनात्मक संचार की व्यवस्था स्थापित की है। इसने न सिर्फ कार्य करने वाले पुरूषों के लिए अवसर प्रदान किये हैं बल्कि महिलाएं भी इन अवसरों का लाभ उठा रही है। जिससे वे कार्यरत बल का व्यापक भाग बन रही हैं। नये कार्य के अवसरों के कारण महिलाओं में न सिर्फ आर्थिक निर्भरता आई है बल्कि उनमें आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना भी बढ़ी है। इस प्रक्रिया के कारण महिला व पुरूषों के बीच लैंगिक समानता की भावना बढ़ी है। वैश्वीकरण में यह शक्ति है कि वह भारतीय समाज में महिलाओं के लिए स्थापित पुराने पारंपरिक अवधारणाओं से मुक्त करा सके जिससे उनको समाज में पुरूषों के बराबर अधिकार प्रदान किया जा सके।

आज यहां का जनजातीय समुदाय भी ई. लर्निंग एवं ई. शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आज भारत में विभिन्न मुक्त विश्वविद्यालय इसी के प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं। साथ ही अपने वस्तुओं को बेचने और खरीदने में ई–बैंकिंग तथा ई. कॉमर्स का प्रयोग करने लगे हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि उनकी शैक्षणिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में अनुकूलनशील परिवर्तन हुआ है।

नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले महिलाओं ज्यादा आत्मनिर्भरता व स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई है। शहरी क्षेत्रों के निम्न मध्यमवर्गीय परिवार के महिलाओं में कार्य को लेकर परिवर्तन आसानी से देखा जा सकता हैं पारंपरिक रूप से महिलाएं अपने घरेलू कार्यों व बच्चों की देखभाल के लिए ही आवश्यक मानी जाती थी। परंतु वर्तमान में अधिकांश महिलाएं घरेलू कार्यों से निकलकर निजी आय के साधन के लिए दूसरे प्रकार के व्यवसायिक कार्य कर रही है।वैश्वीकरण ने आवश्यकता पर आधारित पूंजीवादी विचारधारा को अग्रसारित किया है। उत्पादित वस्तुओं के प्रचार प्रसार और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनके पहुंच ने नई आवश्यक्ताओं को जन्म दिया है। इसका प्रभाव यह पड़ा है कि परिवार में जहां आमदनी की भावना बढ़ी है वहीं दूसरी ओर इसकी खपत के मार्ग भी बढ़े हैं। इसलिए महिलाओं को अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए कार्य करने पड़ते हैं जिससे वे पूंजीवादी समाज में उनकी बढ़ी आवश्यक्ताओं की पूर्ति कर सकें। और आधुनिक जीवन शैली का भाग बनें।

सूचना क्रांति के विकास में सरकारी व गैर सरकारी तौर पर कार्य करने वाली संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिकायें निभा रही हैं। गैर सरकारी स्तर पर कार्यरत एन जी ओ ने भी महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं जिससे महिलायें पर्दे के पीछे से निकलकर समाज की मुख्य धारा में अपनी भागीदारी निभाने में सफल हो पाई हैं। रांची के विभिन्न भागों में स्थापित बाजार व्यवस्था तक महिलाओं की पहुंच आसानी से बन पाई है। इसमें एनजीओ से प्रशिक्षण प्राप्त महिलायें घरेलू तौर पर निर्मित वस्तुओं की बिक्री बाजार में कर रही हैं।

जिससे न सिर्फ वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ी हैं बल्कि अपनी आय के संसाधनों को भी बढ़ाया हैं। महिलाओं की जीवन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं।

संदर्भ :

1. पाल लीगन्स उद्धृत डॉ राजीव कुमार श्रीवास्तव, वैश्वीकरण एवं समाज, वैभव लक्ष्मी प्रकाशन, वाराणसी, 2012–13 पृ संख्या 97
2. जोसेफ डिविटो उद्धृत डॉ राजीव कुमार श्रीवास्तव, वैश्वीकरण एवं समाज, वैभव लक्ष्मी प्रकाशन, वाराणसी, 2012–13 पृ संख्या 97
3. श्रीनिवास, एम.एन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया ओरिएंट बलैक स्वाान 1995, पृ संख्या 107
4. दोशी, एस. एल., आधुनिक समाज शास्त्रीय विचारक, रावत पब्लिकेशंस, जयपूर, 2007, पृ संख्या–169
5. पारसंस, टॉलकॉट, द सोशल सिस्टम, उलान प्रेस 2012 पृ संख्या 56
6. मर्टन,आर. के., सोशल थियरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर, फ्री प्रेस 1968 पृ संख्या 68
7. लर्नर, डेनियल, दि पासिंग ऑफ टेडिशनल सोसाइटी, फ्री प्रेस ऑफ ग्लेनकोई, न्यूयॉर्क,1958 पृ संख्या 101
8. युनेस्को रिपोर्ट मॉस मीडिया इन डेवलपिंग कंट्रीज,1961 उद्धृत डॉ राजीव कुमार श्रीवास्तव, वैश्वीकरण एवं समाज, वैभव लक्ष्मी प्रकाशन, वाराणसी, 2012–13 पृ संख्या105
9. दुबे, श्यामाचरण, इंडियन सोसाइटी,एनबीटी,न्यूदिल्ली, 2005 पृ संख्या 23
10. आगबर्न, एफ.जी., कल्चर एण्ड सोशल चेंज, युनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, 1964 पृ संख्या 33
11. मेकलुहान, वार एण्ड पीस इन ग्लोबल विलेज, बेनेटन प्रेस, न्यूयॉर्क,1968 पृ संख्या 72
12. कुरूक्षेत्र जनवरी 2012 अंक 3 पृ 9
13. कुरूक्षेत्र जनवरी 2012 अंक 3 पृ 11
14. भारत की जनगणना 2011
15. भारत की जनगणना 2011